न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:— 12 / 18 / 2024 रजू दिनांक: 25.01.2024 रजि0 न0 2024 / 34

अपीलार्थी:—

श्री मुकेश पुत्र भगवान सैनी, निवासी पीपलवाला मौहल्ला, लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर रज0।

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 20.02.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.02.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अ0 / प्रथम अपील / 2024 / 313 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रथम आवेदन में वर्णित वांछित सूचना नहीं मिलने बाबत उल्लेख किया है। जबकि कार्यालय के पत्रांक 102 दि0 12.01.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है जिसके अनुसार सूचना आवेदन दि0 08.12.2023 में वर्णित शिकायत प्रा0पत्र दिनांक 28.01.2023, मूल ही उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ एवं अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका ल0गढ़ को निर्देशानुसार एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा चुका है। अपीलार्थी उक्तांकित कार्यालयों में संपर्क स्थापित कर आगामी कार्यवाही बाबत जानकारी प्राप्त कर सकता है। अतः अपील प्रकरण खारिज करने की अनुकम्पा करें।
5. पत्रावली अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण का विनिश्चय कर अपील अपीलार्थी को जवाब उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)